न्यायालय उपजिलाधिकारी /सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी ,कोल (अलीगढ)

वाद सं0 –2014180202367 | अन्तर्गत धारा –143 ज0वि0एवं भू0 व्यव0 अधिनियम
मौजा –सारसौल (बाहर चुंगी) | परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

सुमित कुमार आदि | बनाम | सरकार

निर्णय

प्रार्थी श्री सुमित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण चन्द्रशेखर व श्रीमती लाजेश कुमारी पत्नी चन्द्रशेखर निवासीगण एम0आई0जी0–29 आवास विकास कालोनी सासनी गेट अलीगढ़ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत दिनांक 22–05–2013 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसमें कहा गया है कि मौजा सारसौल(बाहर चुंगी) परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–262गाटा संख्या–258/1 रकवा 0.759है0 व खाता सं0 96 गाटा सं0 265/1 रकवा 0.562है0 व खाता सं0 248 गाटा सं0 274/1 रकवा 0.842है0 कुल तीन किता रकवा 2.163है0 लगानी 77.15रू0 के संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज दर्ज कागजात है । उक्त भूमि में पर गत 03 वर्षो से कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, आदि नही हो रहा हैं। उक्त भूमि का उपयोग आबादी में किया जाना हैं। अतः उपरोक्त भूमि को आबादी /अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार कोल से आख्या चाही गई, तहसीलदार कोल ने अपनी आख्या दिनांक 25–01–2014 में उल्लेख किया है कि मौजा सारसौल(बाहर चुंगी) परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–262गाटा संख्या–258/1 रकवा 0.759है0 व खाता सं0 96 गाटा सं0 265/1 रकवा 0.562है0 व खाता सं0 248 गाटा सं0 274/1 रकवा 0.842है0 कुल तीन किता रकवा 2.163है0 लगानी 77.15रू0 पर श्री सुमित कुमार व अमित कुमार पुत्रगण चन्द्रशेखर व श्रीमती लाजेश कुमारी पत्नी चन्द्रशेखर निवासीगण एम0आई0जी0–29 आवास विकास कालोनी सासनी गेट अलीगढ़ का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उपरोक्त भूमि पर गत वर्ष से कृषि कार्य यथा कृषि , बागवानी, पशुपालन , मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन ,मधुमक्खी पालन एवं हार्टीकल्चर आदि का कार्य नहीं हो रहा है , बल्कि मौके पर चार दीवारी बनी है आबादी हेतु प्रस्तावित हैं तथा भूमि अकृषिक के रूप में उपयोग में आ रही है। उपरोक्त भूमि आवंटन की भूमि है तथा जैड0ए0 की भूमि है। वर्ष 1359 फसली में उपरोक्त भूमि उसर दर्ज है अतः उपरोक्त भूमि को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित की गई है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 25–01–2014 एंव जो0चं0 आकार पत्र 41 व 45 का का परिशीलन किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नायब तहसीलदार गोरथल की आख्या दिनांक 25–01–2014 स्वीकार किये जाने येाग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्लेषणानुसार तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 25–01–2014 स्वीकार की जाती है। मौजा सारसौल(बाहर चुंगी) परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि स्थित खाता सं0 262गाटा संख्या–258/1 रकवा 0.759है0 व खाता सं0 96 गाटा सं0 265/1 रकवा 0.562है0 व खाता सं0 248 गाटा सं0 274/1 रकवा 0.842है0 कुल तीन किता रकवा 2.163है0 लगानी 77.15रू0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 25–01–2014 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कोल को भेजी जाये । तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनॉक– 31 जनवरी 2014,

31/01/14

(विजय कुमार)
उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ)

उक्त निर्णय मेरे व्दारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया है।

दिनांक– 31 जनवरी 2014,

31/01/14

उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ

सत्य प्रतिलिपि

अहलमद राजस्व
न्यायालय उप जिला०, कोल।